न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कैलाश बैरवा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 07/2020
रजिस्ट्रेशन नं. : 2020/00015

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

जेम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि. शाखा कार्यालय सलुम्बर जिला उदयपुर (राज.)

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री वालजी यादव पिता श्री रुपा यादव निवासी यादव मोहल्ला, मेतवाला जिला बॉसवाडा।
2. श्रीमती गीता पत्नि श्री वालजी निवासी यादव मोहल्ला, मेतवाला जिला बॉसवाडा।
3. श्री रोशन यादव पिता श्री वालजी निवासी यादव मोहल्ला, मेतवाला जिला बॉसवाडा।
4. श्री शंकर पुरी पिता मोहन पुरी निवासी भोई मोहल्ला, मेतवाला जिला बॉसवाडा ।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 27–02–2020

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि., शाखा कार्यालय सलुम्बर जिला उदयपुर (राज.) ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री वालजी यादव पिता श्री रुपा यादव निवासी यादव मोहल्ला, मेतवाला जिला बॉसवाडा (ऋणी/बंधककर्ता) 2–श्रीमती गीता पत्नि श्री वालजी निवासी यादव मोहल्ला, मेतवाला जिला बॉसवाडा(सहऋणी) 3 श्री रोशन पिता श्री वालजी निवासी यादव मोहल्ला, मेतवाला जिला बॉसवाडा (सहऋणी) एवं 4 श्री शंकर पुरी पिता मोहन पुरी निवासी भोई मोहल्ला, मेतवाला जिला बॉसवाडा (गारन्टर/अप्रार्थी) को दिनांक 30.09.2017 को राशि रुपया 500000 (पॉच लाख) का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 07–08–2019 तक कुल बकाया ऋण राशि मय ब्याज 482114 रू. (चार लाख बियासी हजार एक सौ चौदह रुपया) एव तत्पश्चात ब्याज की वसूली के क्रम में मोरगेज बाय डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड्स के अन्तर्गत प्रतिभूति श्री वालजी यादव पिता श्री रुपा यादव की आवासीय सम्पति जो ग्राम मेतवाला, ग्राम पंचायत मेतवाला, तहसील गढी व जिला बांसवाडा पर स्थित है, माप लगभग 92 वर्ग गज है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पति का अभिन्न अंग है, जिसके उत्तर में गोतम / गोगा का मकान, दक्षिण में स्वयं की जमीन, पूर्व में स्वयं का आगन का रास्ता, पश्चिम में स्वयं का आगन, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हो तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनाक 24 अक्टूबर 2018 के अनुसार प्रार्थी Non-Banking financial institution Jumbo finvest (india) Ltd. को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो

Scanned by CamScanner

का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खड (ड) के उप–खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 22–08–2019 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित सामयिक बंधक (Equitable Mortgage) है।

अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 बावजुद नोटिस तामील उपस्थित नही हुए। श्री शंकर पुरी पिता मोहन पुरी जो जमानती है, का नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ। तहसीलदार गढी की रिर्पोट अनुसार श्री शंकर पुरी पिता मोहन पुरी की मृत्यु एक वर्ष पूर्व हो चुकी है। अतः अप्रार्थी सं 1 से 3 जो ऋणी/सहऋणी है, के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरुप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि., शाखा कार्यालय सलुम्बर जिला उदयपुर (राज.) को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे की आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 27–02–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कैलाश बैरवा)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Bairwa
Date: 2020.02.28 17:51:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: